पत्रांक– 03/मेट्रो रेल–04–10/2019– 180 /न०वि०एवंआ०वि०

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
विशेष सचिव,
नगर विकास एंव आवास विभाग।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 14/01/2020

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2019–20 के द्वितीय अनुपूरक आगणन में पटना मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के कार्यान्वयन हेतु उपबंधित राशि रू0 100.00 करोड़ (एक अरब रू0 मात्र) को निवेश के रूप में व्यय करने हेतु निकासी की स्वीकृति।**

आदेशः– **स्वीकृत।**

पटना मेट्रो रेल परियोजना के कार्यान्वयन हेतु Special Purpose Vehicle (SPV) पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लि0 (PMRCL) का गठन संकल्प सं0–2406 दिनांक–26.09.2018 द्वारा किया गया है। पटना मेट्रो रेल परियोजना के कार्यान्वयन में Land, R&R and PPP Component को छोड़कर निवेश करने हेतु Project cost की कुल राशि का केन्द्र एवं राज्य सरकार की हिस्सेदारी 20–20 प्रतिशत तथा बाह्य एजेंसी से 60% ऋण लिया जाना है। इस परियोजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2019–20 के द्वितीय अनुपूरक में प्राप्त राशि में से हिस्सा पूंजी के रूप में राशि रू0 100.00 करोड़ (एक अरब रू0 मात्र) की निकासी की स्वीकृति दी जाती है।

2. स्वीकृत राशि रू0 100.00 करोड़ (एक अरब रू0 मात्र) के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, प्रशाखा पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना होंगे। उक्त राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र सं0–2561, दिनांक–17.04.98 एवं पत्रांक–1081 दिनांक–11.12.19 में निहित अनुदेशों के आलोक में सचिवालय कोषागार, विकास भवन, बिहार, पटना से चालू वित्तीय वर्ष 2019–20 में एक मुश्त किया जाएगा। निकासी की गई राशि बिहार शहरी विकास अभिकरण (बुडा) के पंजाब नेशनल बैंक, न्यू मार्केट, पटना शाखा के बैंक खाता सं0–2913000101351927, IFSC Code-PUNB0291300 में अंतरित की जायेगी।

3. पटना मेट्रो रेल परियोजना के कार्यान्वयन हेतु निकासी की गई राशि बिहार शहरी विकास अभिकरण (बुडा) द्वारा पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लि0 को उपलब्ध कराया जाएगा।

4. वित्त विभाग के परिपत्र सं0–7355 वि0 (2), दिनांक–05.10.97 में निहित अनुदेश के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

5. स्वीकृत राशि रू0 100.00 करोड़ (एक अरब रू0 मात्र) की निकासी योजना मांग संख्या–48, मुख्य शीर्ष–5075–अन्य परिवहन सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष–60–अन्य, लघु शीर्ष–190–सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों में निवेश, उप शीर्ष–0101–पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लि0, विषय शीर्ष–54–निवेश 0101–54–01 निवेश विपत्र कोड–48–5075601900101 अन्तर्गत वित्तीय वर्ष

2019–20 के द्वितीय अनुपूरक में उपबंधित राशि रू0 100.00 करोड़ (एक अरब रू0 मात्र) में से विकलनीय होगी।

6. राशि की निकासी किसी भी स्थिति में ए0सी0 विपत्र पर नहीं किया जायेगा। यह राशि सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों में निवेश के लिए है। राशि की निकासी करते समय विपत्र पर विपत्र कोड अनिवार्य रूप से अंकित किया जायेगा। राशि की निकासी के लिए CFMS के माध्यम से आवंटनादेश निर्गत किया जाएगा।

7. भारतीय अंकेक्षण एवं लेखा विभाग को पुस्तकों एवं रजिस्टरों को देखने एवं जांच पड़ताल करने का अधिकार होगा।

8. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार, सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग का अनुमोदन संचिका के पृ0 सं0–28/टि0 पर दिनांक–09.01.2020 को प्राप्त है।

10. प्रस्ताव में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका के पृ0 सं0–28/टि0 पर दिनांक–08.01.2020 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

14.01.20

सरकार के विशेष सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांकः–03/मेट्रो रेल–04–10/2019– 180 / न० वि० एवं आ० वि०, पटना, दिनांकः– 14/01/2020

प्रतिलिपिः– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

14.01.20

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांकः–03/मेट्रो रेल–04–10/2019– 180 / न० वि० एवं आ० वि०, पटना, दिनांकः– 14/01/2020

प्रतिलिपिः–वित्त विभाग (बजट शाखा)/योजना एवं विकास विभाग/अपर सचिव–सह–उप निदेशक, बुडा/स्थानीय लेखापरीक्षक, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/ प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–2(बजट), नगर विकास एवं आवास विभाग/मा0 मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/लेखापाल, बुडा/लेखापाल, नगर विकास एवं आवास विभाग (दो प्रतियों में)/CMD/CFO, पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लि0 (PMRCL), इंदिरा भवन, 7वाँ तल, पटना/विभागीय आई0टी0 प्रबंधक को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

14.01.20

सरकार के विशेष सचिव।

D:\allpatnametrofile\Allotment letter\letter doc.